न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0:–75/1997
CIS NO. 168/2018

रणेन्द्र किशोर उर्फ गुलाब बाबू.....वादी

बनाम

कृपेन्द्रकिशोर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–05 की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 29.07.2022 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (Order)** प्रतिवादी सं0–05 की ओर से दिनांक 29.07.2022 को आवेदन दिया गया कि प्रस्तुत वाद अंतिम बहस में चल रहा है इसी दौरान प्रतिवादी सं0–05 ने अनुमण्डल दडा0 बेतिया द्वारा वाद सं0–59/83 में पारित आदेश दिनांक 15.03.1982 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया तथा आवेदन दिया कि यह कागजात न्यायालय का आदेश है तथा लोक अभिलेख की श्रेणी में आता है। अतः विलंब को माफ करते हुए प्रदर्श अंकित किया जाय। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा प्रतिवादी सं0–05 का आवेदन स्वीकृत करते हुए उपरोक्त कागजात को प्रदर्श X अंकित करने का आदेश दिया। प्रदर्श X किसी कागज की पहचान के लिए चिन्हित किया जाता है। जबकि प्रतिवादी सं0–05 का दाखिल कागजात न्यायालय के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि है तथा प्रतिवादी सं0–05 का आवेदन स्वीकार किया गया है। अतः इसे सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। X अंकित होना विधि विरूद्ध है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05. 2022 के आलोक में प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात को प्रदर्श X के वजाय सामान्य रूप से प्रदर्श करना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादी सं0–05 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वह न्याय से वंचित हो जायेगा। वादी के द्वारा दिनांक 17.08.2022 को प्रतिवादी सं0–05 के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा प्रतिवादी सं0–05 का आवेदन किसी भी दृष्टिकोण से पोषणीय नही बताया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–05 के तरफ से दिनांक	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0:–75/1997</u>
<u>CIS NO. 168/2018</u>

लगातार 17.11.2022	03.03.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 13 नियम 1 तथा धारा 151 के साथ भारतीय साक्ष्य के अधिनियम की धारा 74 एवं 77 के अंतर्गत दिया गया था। जिसका प्रत्युत्तर वादी के तरफ से दिनांक 26.04.2022 को दिया गया था तथा दोनों पक्षों के सुनवाई के उपरांत दिनांक 24.05.2022 को प्रतिवादी सं0–05 के आग्रह को इस प्रकार अस्वीकृत कर दिया गया कि आदेश दिनांक 15.03.1982 की सच्ची प्रतिलिपि शक के घेरे में आती है। चुँकि उपरोक्त आदेश कि सच्ची प्रतिलिपि किस न्यायालय द्वारा निर्गत है तथा उसपर सक्ष्म पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही है। इसलिए तत्कालीन मान्य न्यायालय द्वारा X अंकित कर दिया गया। जो अपने आप में अंतिम निर्णय है। प्रतिवादी सं0–05 के तरफ से वर्तमान जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान से बाधित है। क्योंकि प्रतिवादी सं0–05 द्वारा पूर्व में उठाये गये प्रदर्श बिन्दु पर निर्णय हो चुका है। अतः प्रतिवादी सं0–05 का आवेदन व्यहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के आलोक में खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 24.05.2022 को तत्कालीन न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0–05 के आवेदन पर सुनकर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0–05 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी सं0–05 द्वारा दाखिल कागजात को अभिलेख पर रखते हुए प्रदर्श X चिन्हित किया गया है। तत्कालीन न्यायालय द्वारा उक्त आदेश उभय पक्षों को सुनकर गणु–दोष के आधार पर पारित किया है। अतः प्रतिवादी सं0–05 के आवेदन दिनांक 29.07.2022 खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 20.12.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	